



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

वन भवन, डोरण्डा, राँची

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / योबजट-45 / 2019-**१५५** दिनांक : 18/03/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप निदेशक,  
पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल,  
मेदिनीनगर

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना “पलामू व्याघ्र” योजना के अंतर्गत अनावर्ती कार्यों (60:40) ‘पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर एरिया के संप्रति दो गाँवों-लाटू एवं कुजरूम के 210 परिवारों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन/पुनर्वास के प्रयोजनार्थ हेतु ₹0 2100.00 लाख (इक्कीस करोड़ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योब0-34 / 2020-34 / स्वी0 व0प0 दिनांक 17.03.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-34 / 2020-46 / आ10 व0प0 दिनांक 17.03.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-08 पलामू व्याघ्र योजना अनावर्ती कार्य (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹0 2100.00 लाख (इक्कीस करोड़ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

**(क) केन्द्रांश (60%)**

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड          | (राशि लाख में) |
|---------------|---------------------|----------------|
| मुआवजा        | 19C2406021100800651 | 1260.00        |
| कुल :-        |                     | 1260.00        |

**(क) राज्यांश (40%)**

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड          | (राशि लाख में) |
|---------------|---------------------|----------------|
| मुआवजा        | 19S2406021100800651 | 840.00         |
| कुल :-        |                     | 840.00         |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे, जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से

अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त राशि एवं अधिरोपित शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रों में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. (I) वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त दोनों गाँवों के पुर्नस्थापन/पुनर्वास का कार्य पूर्ण कर लेना अपेक्षित है, तथापि विषय की संवेदनशीलता एवं अन्य प्रक्रियागत औपचारिकताओं की पूति में ऐसा संभव है कि कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण न हो पाये। ऐसी स्थिति में इस कार्य-प्रयोजनार्थ राशि ₹0 2100.00 लाख की अग्रिम निकासी कर इसे पालमू व्याघ फाउण्डेशन के खाते में जमा किया जा सकता है, जहाँ से चालू वित्तीय वर्ष/आगामी वित्तीय वर्ष में समय-समय पर आवश्कतानुसार राशि का आहरण कर उसका व्यय गाँवों के पुर्नस्थापन/पुनर्वास के लिए ही किया जाएगा।

(II) पलामू व्याघ फाउण्डेशन के खाते में जमा की जाने वाली राशि का व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं ससमय अंकेक्षण की जिम्मेदारी नियंत्री पदाधिकारी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

(II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यता हो, तदनुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

8. Monitoring के संबंध में विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जाएगी :—

(I) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।

(II) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।

(III) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monotoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

9. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।

(V). सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।

(VI). बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(VII). Income tax(IT)/ Service Tax(GST/VAT)/ Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. (I) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(II) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

12. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का पयोग अनिवार्य रखा जाएगा।

13. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हो।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपदान विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2018 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जाएगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक 686 दिनांक 05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

19. राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक 01.03.2021 की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित “पलामू व्याघ्र” योजना के अंतर्गत अनावर्ती कार्य (60:40) “पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर एरिया के संप्रति दो गाँवों-लाटू एवं कुजरूम के 210 परिवारों के स्वैच्छक पुनर्स्थापन/पुनर्वास के प्रयोजनार्थ” हेतु ₹0 2100.00 लाख (इक्कीस करोड़ रुपये) की स्वीकृति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची  
१५/३/२०२१

ज्ञापांक— ०१ / योबजट—४५ / २०१९—२४४ दिनांक— १८/०३/२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / योबजट—४५ / २०१९—२४४ दिनांक— १८/०३/२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



**आवंटन आदेश**

**झारखण्ड सरकार**

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/244

दिनांक -

18-Mar-2021

| क्रमांक | विपर कोड  | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि  |
|---------|---|----------|--|--|
| 1       | S 19 240602110080651<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव<br>110 - बन्य जीव परिरक्षण<br>08 - पलामू व्याप्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय<br>06 - अनुदान<br>51 - मुआवजा | 89184    | PLMFOR068<br>MUKESH KUMAR<br>DY.DIR.TIGER.PRO.S<br>UTH.DIV.MED | 84,000,000.00<br>रुपये आठ करोड़ चालीस लाख  |
| 2       | C 19 240602110080651<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव<br>110 - बन्य जीव परिरक्षण<br>08 - पलामू व्याप्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय<br>06 - अनुदान<br>51 - मुआवजा | 89186    | PLMFOR068<br>MUKESH KUMAR<br>DY.DIR.TIGER.PRO.S<br>UTH.DIV.MED | 126,000,000.00<br>रुपये बारह करोड़ साहठ लाख  |
|         |   |          |  | State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319)<br>Central Scheme : PROJECT TIGER(9155) |
|         |   |          |  | State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319)<br>Central Scheme : PROJECT TIGER(9155) |
|         |   |          |  | 210,000,000.00   |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इक्कीस करोड़

(NAND KISHORE SINGH)

DDL: PCCF.DEV.JHARKHAND